कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 111 / FP/UK/ROAD/~~10790~~/2015 :देहरादूनःदिनांकः 13 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़ से हनोली तथा पोखरी से काण्डाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रॉक–8बी/यू.सी.पी./06/117/2015/एफ0सी0/959 दिनांक 07–08–2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम खाल्यू की 6.987 हे0 एवं ग्राम काफलपानी की 7.713 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रूपये 40,96,375.00 मात्र की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 14.70 हे0 भूमि ग्राम खाल्यू एवं ग्राम काफलपानी को वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 04.05.2019 द्वारा अमल दरामद किया जा चुका है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रूपये 62,10,750.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेनसी द्वारा एन0पी0वी0 बढोतरी प्रमाण पत्र **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू0 10,307,125.00 चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में strip plantation का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।**(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Authority letter में सही नाम को अंकित कर पार्ट । में अपलोड कर दिया गया है।**(संलग्नक–5)**
7. शर्त संख्या–7 अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Component wise breakup में Muck dumping की सूचना को सही कर पार्ट । में अंकित कर दिया गया है।**(संलग्नक–6)**

अतः अनुरोध है कि विषयॉंकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

10/7/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 111 / FP/UK/ROAD/10790/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड़, पी0एम0जी0एस0वाई0, पोखरी, चमोली।

10/7/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

O/C